नई सरकार के उद्देश्य

१६७७

चौधरी चरण सिंह

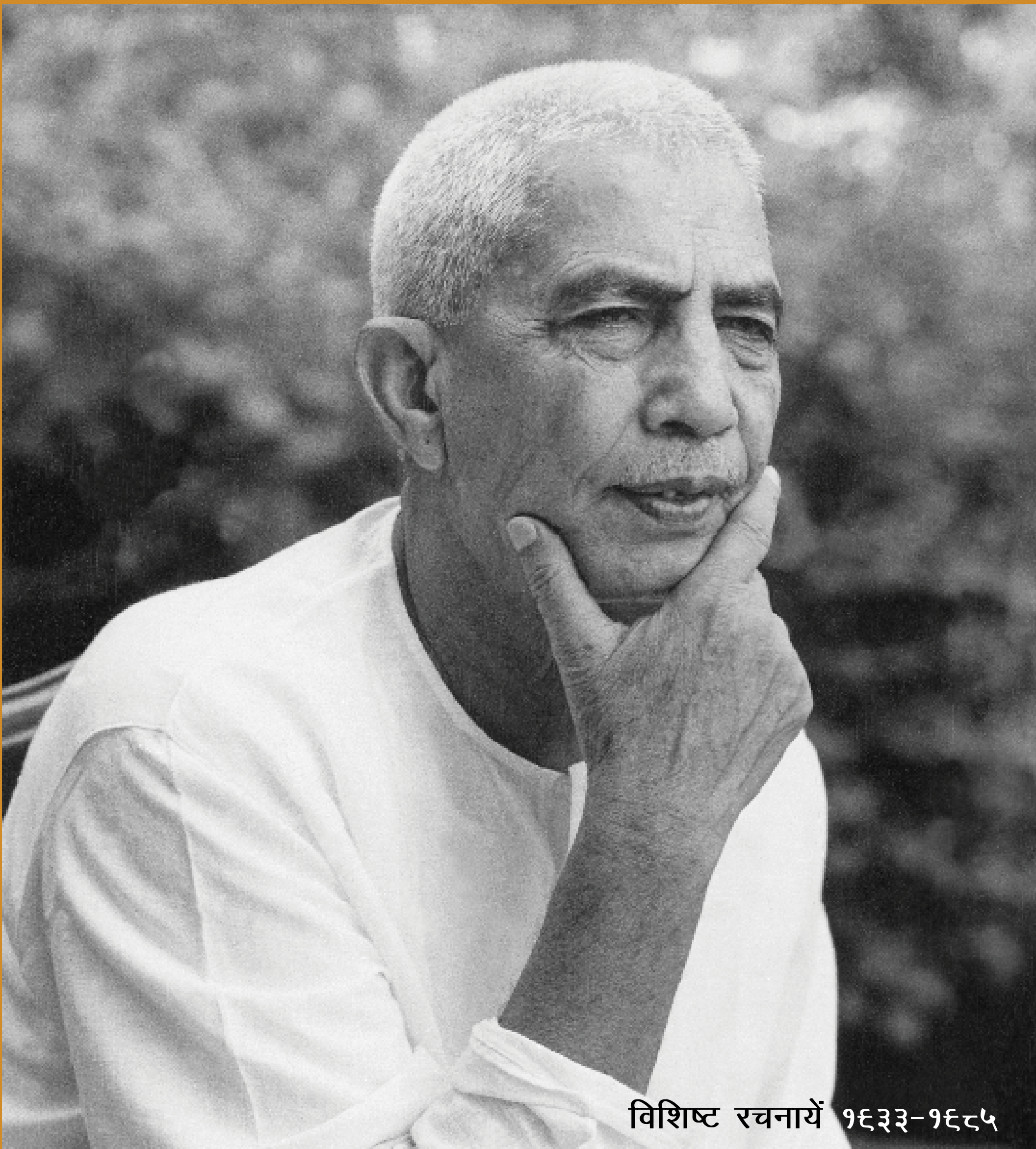

विशिष्ट रचनायें १६३३-१६८५

२६ जनवरी २०२२
चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १६५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १६०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

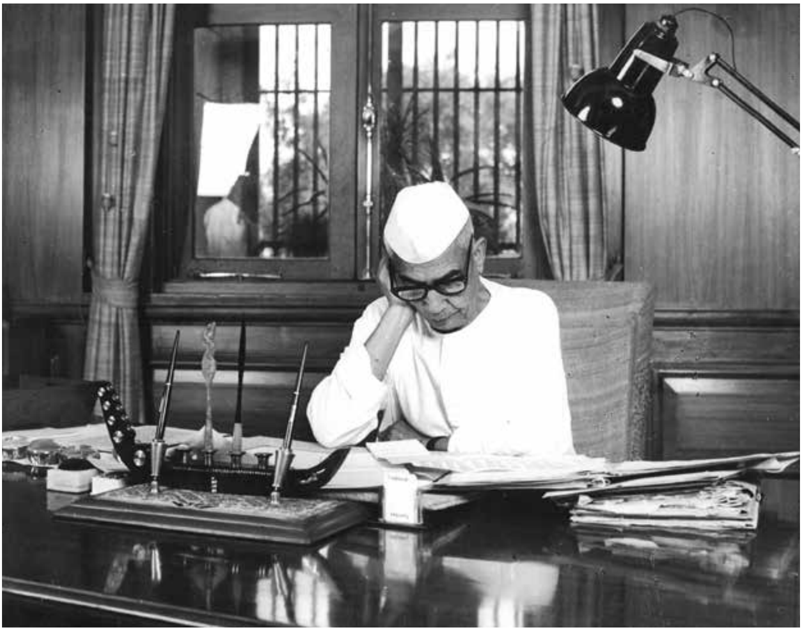

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
नई सरकार के उद्देश्य

आपातकाल के बाद भारत में जन क्रांति के फलस्वरूप १९७७ में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार–जनता सरकार, बजूद में आई। उन्हीं दिनों चौधरी चरणसिंह ने एक २७ सूत्री मसविदा तैयार किया था, जिसका शीर्षक था–'नई सरकार के उद्देश्य'। चौधरी साहब ने इस मसविदे में स्पष्ट किया था कि नई सरकार–यानी जनता सरकार–देशवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कौन से कदम उठायेगी तथा लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को किस तरह बहाल करेगी। उक्त मसविदा यहाँ प्रस्तुत है–

१. नयी सरकार ने ऐसे हालात में सत्ता सम्भाली है कि जब देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। आम आदमी राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से विश्वास खोता जा रहा है, जो १९७५ से भारी दवाब की स्थिति में रही है। सरकार का पहला काम लोकतंत्र के प्रति जनता के खोए विश्वास को पुनः स्थापित करना है, विशेषकर इसकी उस योग्यता में, जिसके जरिये तात्कालिक और ज्वलन्त समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है।
२. सरकार को श्रम साध्य प्रयास से लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को सही अर्थों में स्थापित करते हुए, इस देश की ६५ करोड़ जनता के भाग्य को बदलने के लिए तेजी से प्रयास करना होगा।
३. नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वत्वाधिकारों की सुरक्षा तथा न्यायपालिका की आजादी को सुरक्षित करना एवम उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व सरकार का होगा।
४. हर चीज से ऊपर उठते हुए सरकार स्वच्छ और ऐसे सक्षम प्रशासन की बहाली सुनिश्चित करेगी, जिस प्रशासन में जन–कार्यों के दायित्व

से जुडे जनसेवक न केवल ईमानदार और निष्पक्ष ही होंगे बल्कि पर्याप्त कुशलता और श्रमपूर्वक अपने कर्तव्य को अंजाम देंगे—एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें विलम्ब, बर्बादी और भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं होगी। अधिकारियों को आत्म विश्वास का ऐसा वातावरण प्रदान किया जायेगा, जिसमें उनके द्वारा लिये गये सदाशयी निर्णयों के लिए, उनका पूर्ण बचाव किया जाएगा (यहां लेखक का आशय राजनीतिक हस्तक्षेप से है)।

५. इसी तरह यह सरकार महसूस करती है कि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और नीचे की ओर फैलता है। ऐसी स्थिति में सारे समाज को भ्रष्ट करता है। जब तक हमारे देश के जनजीवन में ऊपर के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से नैतिकता न हो, तब तक प्रशासन में से भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता, न सारभूत रूप से कम ही किया जा सकता है। यद्यपि तात्कालिक तौर पर इसका हल खुद जनता के हाथ में है, जिसे अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है, इसके बावूजद सरकार इस बुराई को समूल नष्ट करने के लिए सभी कदम उठायेगी, जो सारे समाज को क्षय कर रही है।

६. बड़ी संख्या में देश की जनता में व्याप्त असुरक्षा और अलगाव की भावना को दूर करने के मामले को सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। हम सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और विभिन्न भाषा—भाषी समूहों को इस बात के प्रति आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण में वृद्धि और राष्ट्र को मजबूत बनाने की, पूर्ण इच्छा—शक्ति से निर्देशित होंगे।

७. सभी पिछड़े वर्गों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पूर्ण सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया जायेगा और विकास हेतु उन्हें अधिकाधिक मदद दी जाएगी, ताकि समाज में वे अपनी सही भूमिका निबाह सकें।

८. सरकार सभी अल्पसंख्यकों को आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, सभी तरह के, विकास के अधिकाधिक अवसर देने के प्रति आश्वस्त करेगी।

९. मुद्रास्फीति, जो बहुत बड़ी बुराई है, का सामना देश कर रहा है और यह सरकार इस पर तुरन्त नियंत्रण पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। जमाखोरों, मुनाफाखोरों, तस्करों और काला बाजारियों, साथ ही टैक्स—चोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

१०. यद्यपि भारत प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न देश है और यहां महान

संस्कृति, रीति–रिवाज, कार्य–कुशल तथा घोर परिश्रमी लोग हैं, इसके बावजूद यहां लगातार बनी रहने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। यह सरकार की प्राथमिकता और कर्तव्य होगा कि वह इस देश के सभी वर्गों की सेवा करे तथा देश को नैतिक व आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने का हर सम्भव उपाय करे और लोगों के जीवन–स्तर में सुधार करे।

११. व्यापक रूप से फैली गरीबी का उन्मूलन करना होगा और प्रत्येक नागरिक को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना होगा। यह सरकार एहसास करती है कि मूल्यों और स्वप्नों के लिए, जनता द्वारा अपने बजूद के लिए किए जा रहे, विखंडित संघर्ष से ज़्यादा उपहासास्पद और कुछ नहीं है। आज ५० प्रतिशत से ज़्यादा लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जी रहे हैं, यहां तक कि उन्हें ज़रूरत भर भोजन भी नहीं मिलता। एक भूखे बच्चे की आंखों में निराशा के भावों को देखने से ज़्यादा मर्मभेदी और कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए इससे अधिक और कुछ देशभक्ति पूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम यह सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोयेगा, किसी परिवार को अगले दिन की रोटी जुटाने के प्रति अनिश्चितता की स्थिति नहीं होगी और किसी भी नागरिक का भविष्य और क्षमताएं कुपोषण से प्रभावित नहीं होंगी।

१२. बेरोज़गारी बढ़ोत्तरी पर है। इससे ज़्यादा चिंताजनक कुछ नहीं होगा कि सुशिक्षित और रोज़गार की चाह रखने वाला नौजवान खुद को बेकारी की स्थिति में पाये। हमें उन सभी के लिए रोज़गार तलाशना होगा। वास्तव में, रोज़गार एक प्रमुख औजार होना चाहिए, जिसके जरिये गरीबी का उन्मूलन करना होगा। इसीलिए, इस सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के तहत 'रोज़गार के विस्तार' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

१३. जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन तथा कल्याण एवं जन स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम को मजबत बनाने के लिए प्रति एक हजार ग्रामीण जनसंख्या पर एक जन–स्वास्थ्य सेवक को नियुक्त किया जाएगा।

१४. कृषि भारत का मूल उद्योग है। इसके विकास हेतु मानव श्रम, भूमि एवं प्राकृतिक स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग के अवसर उपलब्ध कराते हुए, इसे पूर्ण प्रमुखता दी जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि कृषकों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले। अकेले कृषि वचतें ही (हमारी जनता के सामाजिक और आर्थिक सोच में तीव्रगामी

बदलाव के संयोजन के साथ) गैर–कृषि व्यवसायों और सेवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिसके बिना जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना सम्भव नहीं होगा।

१५. यह सरकार ज़मींदारी के शिकंजे को, देश में यह आज भी जहां कहीं मौजूद है, पूर्ण क्षमता से तोड़ने को सन्नद्ध है। ज़मीन के प्रत्येक जोतदार को, मौजूदा कानूनों के तहत, स्थायी हक दिया जाएगा और राज्य के सीधे सम्पर्क में लाया जाएगा। किसी बिचौलिये या जमींदार को काश्तकार से खुदकाश्त के लिए ज़मीन पर पुनः कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसान को अपनी ज़मीन पट्टे पर देने की अनुमति होगी, जब तक कि वह सशस्त्र सेवाओं का सदस्य न हो, मानसिक विकृति से पीड़ित न हो या कृषि कर्म के लिए शारीरिक रूप से अपंग न हो।

सिद्धांत के तौर पर तथा न्यायिक तौर पर भी, किसी भी देश में ज़मीनों पर कब्जा या वितरण इस सिद्धांत के तहत होना चाहिए कि किसी भी एक व्यक्ति को, उतने रकबे से अधिक ज़मीन न दी जाए, जो हमारी कृषि तकनीक के तहत, एक औसत आदमी या श्रमिक की प्रबंधन क्षमता से ज़्यादा हो और न ही किसी को इतने रकबे से कम ज़मीन दी जाए, जिससे प्राप्त प्रति एकड़ उपज, उस पर लगाये गये श्रम से कम हो। मौजदा भूमि कब्जों पर हदबंदी को उपरोक्त दो सीमाओं के बीच लागू करना, हमारे मानव श्रम और भूमि–स्रोतों के प्रभावी उपयोग की दृष्टि से आवश्यक शर्त है। इस सन्दर्भ में १९७२ से प्रभावी कानून दोषपूर्ण एवं न समाप्त होने वाले विवादों को जन्म देने वाला सिद्ध हुआ है, न ही राज्य सरकारों की मशीनरी इसे लागू करने को बहुत इच्छुक दिखी है।

अतः यह सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों में इसके प्रति जागृति पैदा करने का पूर्ण प्रयास करेगी कि गरीब किसानों को इसका लाभ पहुंच सके, जहां कहीं भूमि जोतों या भूमि हदबंदी से सम्बन्धित कानून दोषयुक्त हैं, उनके दोषों को यथाशीघ्र दूर किया जाये।

१६. बीते वर्षों में आय तथा सम्पत्तिगत बिषमताएं बढ़ी हैं। हमारे शहरों और गांवों के बीच आर्थिक दरार और सांस्कृतिक खाई बढ़ी है। इस खतरनाक रवैये को रोकना होगा। यह सरकार कुछ निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत शहरों के विस्तार को रोकने हेतु प्रारम्भिक कदम उठाएगी।

१७. ग्रामीण जनता को अधिकाधिक सुख–साधन और बेहतर जीवन–सुविधाएं मुहैया कराकर, उसके आत्म–सम्मान को पुनः स्थापित किया जाएगा।

जहां तक सम्भव होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्यमों को स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जायेगा। किन्तु प्राथमिक ध्यान कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित और पोषित करने पर दिया जाएगा, जो कि अकेले ही हमारे गांवों में व्याप्त बेरोज़गारी तथा अर्द्ध–बेरोज़गारी की स्थिति के उन्मूलन का रास्ता तैयार कर सकते हैं। सरकार कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

१८. यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक सोद्देश्यात्मक कार्यक्रमों, जैसे–'काम के लिए अनाज' तथा 'रोज़गार गारंटी योजना' के जरिये सामाजिक योगदान को पैदा करने के प्रयास करेगी।

१९. यह सरकार एक ऐसी आत्म–निर्भर औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण हेतु प्रयासरत रहेगी, जो कि अधिकाधिक रोज़गार की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों में विकास के फलों के समान और न्याय पूर्ण वितरण की व्यवस्था करेगी।

२०. यह सरकार मौजूदा आर्थिक स्थितियों को संकट से उबारेगी और विकासमान अर्थ–व्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने की दृष्टि से जन–परिवहन व्यवस्था, विद्युत, कोयला, स्टील, सीमेन्ट आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

२१. देश के आर्थिक विकास में श्रमिक वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सरकार देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु श्रमिक वर्ग से सम्वाद स्थापित करेगी।

२२. हमारी नैसर्गिक सोच के मुताबिक यदि देश की अर्थ–व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो उद्योगों और कृषि, दोनों में, छोटी आर्थिक इकाइयों की स्थापना से मुंह नहीं चुराना होगा। यह ऐसी इकाइयां हैं, जो कि ज़मीन की प्रति इकाई और स्थिर पूंजी–निवेश के पीछे अधिकाधिक उत्पादन और रोज़गार पैदा करती हैं और आर्थिक एवं सम्पत्तिगत विषमताओं को दूर कर, लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सरकार सैद्धांतिक तौर पर बड़े उद्योगों की भूमिका के बारे में कोई अलगाववादी भावना रखती है। जहां कहीं जरूरी है, सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक और भारी उद्योगों की स्थापना जारी रहेगी, विशेष मामलों में मौजूदा निजी उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय–हित में ऐसा करना जरूरी होगा।

२३. यह सरकार चुनावी कानूनों में भी ऐसे परिवर्तन करेगी, जो राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जरूरी होंगे।

२४. सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक और रचनात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देगी तथा शिक्षा–प्रणाली में ऐसे बदलाव लायेगी, जो हमारे विकासशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

२५. समृद्ध विरासत के समानुरूप, भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्षों को समर्थन देगा। भारत, राष्ट्रीय हितों को सामने रखते हुए, गुट–निरपेक्षता की विदेश नीति का अनुसरण जारी रखेगा।

२६. प्रत्येक भाषा को विकास के पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। समाज के किसी भी वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों द्वारा लोक सभा में दिए गए इस आश्वासन को पूरा मान दिया जाएगा, जिसके मुताबिक अंग्रेजी केन्द्र में सहायक राजभाषा के रूप में जारी रहेगी, जब तक कि गैर–हिन्दी भाषी राज्य ऐसा चाहेंगे।

२७. उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में, जो देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी–नाभिकीय ऊर्जा सहित–के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता के रास्ते पर ले जाएंगे, प्रमुखता के साथ पहलकदमी ली जाएगी। सरकार वैज्ञानिक प्रतिभाओं का, अपनी ऊर्जा को राष्ट्र–निर्माण को समर्पित करने हेतु, आह्वान करती है।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएं: चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एक: सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दो: आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीन: राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चार: उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives

www.charansingh.org

मूल्य ₹९९